



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1943 (श10)
(सं० पटना 04) पटना, मंगलवार, 4 जनवरी 2022

सं०-01लो०ले०सं०-14/21-1306—वि०सं०
बिहार विधान-सभा सचिवालय

प्रेषक,

अनिल कुमार जायसवाल,
उप सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार ।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार ।

पटना, दिनांक-28 दिसम्बर, 2021 ई०।

विषय:-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2),” “विनियोग लेखे” एवं “राज्य का वित्त” को सदन पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2),” “विनियोग लेखे” एवं “राज्य का वित्त” को दिनांक- 02.12.2021 को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन पटल पर उपस्थापित किया गया

तथा “प्रतिवेदन जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो” के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टॉकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,
अनिल कुमार जायसवाल,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 4-571+20-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>